न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–03 / 2020

1. मुखराम पुत्र मन्शाराम जाति सुथार साकिन–3 एनएम ढांबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मैनपाल पुत्र मन्शाराम जाति सुथार साकिन–3 एनएम ढांबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. चन्द्रपाल पुत्र मन्शाराम जाति सुथार साकिन–3 एनएम ढांबा तहसील अनूपगढ़ जिलाश्रीगंगानगर।

––– वादी

बनाम्

1. मन्शाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति सुथार उम्र वर्ष निवासी 3 एनएम ढाबां तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. उप पंजीयक, अनूपगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि में वादीगण के अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी किये जाने स्थाई व्यादेश। बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

::निर्णय:: **दिनांक : 11 / 11 / 2020**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.–01 के नाम से वाके चक 3 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–65 पत्थर सं.–44 / 20 का किला नं.–5,6,13ता19 प्रत्येक सालम,20 / 2 का 0.203, 21 / 2 का 0.203 हैक्टर, 22ता25 प्रत्येक सालम कुल 16 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड व मुरब्बा नं.–64 पत्थर सं.–44 / 28 का किला नम्बर 1ता25 की 25 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को आयंदा वादपत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा। प्रतिवादीगण सं.–01 हम वादीगण के पिता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं.–1 को अपने पिता यानि वादीगण के दादा विरास्तन आधार पर एवं पैतृक सम्पति प्राप्त होकर प्रतिवादी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविवाजित पैतृक सम्पति है जो कि सहदायिक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही हित निहित है। फलस्वरूप वादीगण विवादित कृषि भूमि के सहदायी है। वादीगण जो कि प्रतिवादी सं.–1 के पुत्र है। विवादित कृषि भूमि जो कि सहदायिक सम्पति है। जो वादीगण के प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से वादीगण अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है एवं [illegible] मौखिक समझौता के तहत वादीगण को उक्त कृषि भूमि [illegible] सं.–1 को कई बार कहा कि वह वादीगण के नाम से विवादित कृषि भूमि [illegible] समझौता एवं पारिवारिक मौखिक बंटवारा के तहत वादीगण को बांटवा दी है इसलिए उक्त [illegible] समझौता एवं मौखिक बंटवारा की पालना में उनके नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवें ताकि अपने अपने हिस्सा में काश्त आदि को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव तकाजा ना रहे और अपने अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिंचित कर सके तो प्रतिवादी सं.–1 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करता रहा। प्रतिवादी सं.–01 जो कि वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है जो कि अन्य लोगों के अत्यधिक प्रभाव व दवाब में है तथा जो प्रतिवादी सं.–1 की वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर व वादीगण को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। इसलिए वादीगण अपने अधिकार एवं आधिपत्य को बनाये रखने के लिए प्रतिवादी सं.–01 के विरूद्ध अपने अधिकारों की घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण से निर्णित एवं डिक्री फरमाया जावें एवं अन्य उचित अनुतोष जो वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है वह भी वादीगण को प्रदान किया जावें।

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. –1 द्वारा पारिवारिक समझौता के तहत उक्त कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया–

1. **वादी सं.–01 मुखराम के हिस्सा में**– चक 3 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–65 पत्थर सं.–44/20 का किला नम्बर 5,6,13ता19,20 प्रत्येक सालम,22ता25 कुल 14 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड
2. **वादी सं.–02 मैनपाल के हिस्सा में**– चक 3 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–64 पत्थर सं.–44/28 का किला नम्बर 1ता10, 13ता15 कुल 13 बीघा
3. **वादी सं.–03 चन्द्रभान के हिस्सा में**– चक 3 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–65 पत्थर सं.–44/20 के किला नं.–21, मुरब्बा नं.–64 पत्थर सं. –44/28 का किला नम्बर 11,12,16ता25 कुल 12 बीघा, कुल तादाद 13 बीघा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद वादी राजीनामा के आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर वाद वादी बहक वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित व डिक्री फरमाया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई उज्र व एतराज नहीं है। पत्रावली में आये उपर्युक्त अभिवचनों एवं राजीनामा की रूह से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

::आदेश::

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 03 [illegible] किया जाता है कि वह वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक राजीनामा दर्ज किये जाना सुनिश्चित करें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner